प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.09.2024

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.08.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारा लिखित सूचना दी कि उसके घर में घुसकर एक लड़का जिसका नाम अंशुल उर्फ अंशु है इसके द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया तथा मौके पर वादिया के अचानक घर पहुंचने पर लडका वहां से धमकी देकर भाग गया । इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी तथा घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 31.08.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना के वांछित अभियुक्त अंशुल उर्फ अंशु पुत्र सुभाष मूल निवासी ग्राम कैली थाना खरखोदा जिला मेरठ, हाल निवासी सिद्धार्थ विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को रिछपाल गढी की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं वादिया के पड़ोस में रहता हूँ तथा वादिया की पुत्री को जानता हूँ तथा करीब 01 साल से हमारी आपस में दोस्ती थी। दिनांक 26.08.2024 को शाम के करीब साढे 8 बजे जब पीड़िता घर पर अकेली थी तो मैं मौका देखकर वादिया के घर चला गया तथा उसकी पुत्री के साथ सम्बन्ध बनाये। उसी समय पीड़िता की माता घर पर आ गयी और मैं मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

अंशुल उर्फ अंशु पुत्र सुभाष मूल निवासी ग्राम कैली थाना खरखोदा जिला मेरठ, हाल निवासी सिद्धार्थ विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 31.08.2024 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. शिवम पुत्र स्व0 सुन्दर निवासी ए476 गली न0 16 गगन विहार थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष 2. रवि पुत्र

शंकर लाल निवासी ए468 गली न0 16 गगन विहार थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को कोयल एन्कलेव के पास से चोरी की 02 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शिवम पुत्र स्व0 सुन्दर व रवि पुत्र शंकर लाल उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त शिवम पुत्र स्व0 सुन्दर व रवि पुत्र शंकर लाल उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि हम दिल्ली, एनसीआर क्षेत्रों से वाहन चोरी जैसी घटनाओं को योजना बनाकर करते है। जो मोटर साइकिल हमसे बरामद हुई है वो दोनों मोटर साइकिल हम दोनों ने मिलकर चोरी की है। स्पेलेण्डर मोटर साइकिल करीब डेढ़ महिने पहले हम दोनों ने ज्ञान सरोवर स्कूल के पास हर्ष विहार दिल्ली से चोरी की थी और FZ मोटर साइकिल हम दोनों ने मिलकर करीब डेढ़ साल पहले अप्रैल 2023 पुराना बस स्टेण्ड रोड़ दिल्ली से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. शिवम पुत्र स्व0 सुन्दर निवासी ए476 गली न0 16 गगन विहार थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।
2. रवि पुत्र शंकर लाल निवासी ए468 गली न0 16 गगन विहार थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की 02 मोटर साइकिल।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

1. गिरफ्तार अभियुक्त शिवम उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीला मोड़ पर मारपीट व चोरी के सामान की बरामदगी से सम्बन्धित 02 अभियोग व थाना हर्ष विहार दिल्ली में चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजाकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैं।
2. गिरफ्तार अभियुक्त रवि उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीला मोड़ पर मारपीट व चोरी के सामान की बरामदगी से सम्बन्धित 02 अभियोग थाना केशवपुरम दिल्ली में चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजाकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.08.2024 को वादी ने थाना मोदीनगर पर एक प्रार्थना-पत्र अभियुक्तों 1.वसीम पुत्र मउनूद्दीन निवासी हरमुखपुरी, मोदीनगर 2.मोन्टी पुत्र नवाब व 3-4 अन्य लोगो द्वारा वादी की नाबालिक बेटी की तरफ अश्लील हरकत करना जिसका वादी के द्वारा विरोध करने पर मारपीट करने व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने तथा वादी की गाड़ी में ईटो से तोड़फोड़ करने के सम्बन्ध मे दिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई। तत्पश्चात दिनांक

30.08.2024 को मुकदमा उपरोक्त में नामित / वांछित अभियुक्त वसीम पुत्र मऊनुद्दीन निवासी हरमुखपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 01.09.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वांछित अभियुक्त जावेद पुत्र शाहबुद्दीन निवासी सीकरी कलाँ साहबनगर चौकी के पास मोदीनगर थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को रेलवे स्टेशन गाजियाबाद की पार्किंग से गिरफ्तार किया गया जिसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त जावेद उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने वसीम पुत्र मुऊनुद्दीन निवासी हरमुखपुरी मोदीनगर के साथ मिलकर आवेश में आकर उक्त घटना कारित कर दी थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

जावेद पुत्र शाहबुद्दीन निवासी सीकरी कलाँ साहबनगर चौकी के पास मोदीनगर थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

1- मु.अ.सं. – 0589/2020 धारा 377/498ए/506 भादवि व ¾ मुस्लिम महिला अधिनियम थाना मुरादनगर

2- मु.अ.सं. – 0743/2016 धारा 323/498ए/504/506 भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध एक्ट थाना मुरादनगर

3- मु.अ.सं. – 0791/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना मोदीनगर

4- मु.अ.सं. – 0576/2024 धारा 191(2)/74/76/115(2)/125/352/351(3)/324(4)BNS व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना मोदीनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीम

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त (मृतका का पति व सास) गिरफ्तार।

दिनांक 31.08.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी कि उसकी पुत्री की शादी सद्दाम हुसैन निवासी बुद्ध बिहार बहरामपुर थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से करीब 9 वर्ष पूर्व हुई थी तथा वादी की पुत्री के पति व ससुरालीजन उसको प्रताडित करते रहते थे, जिसके चलते उसकी पुत्री द्वारा तंग व परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसके सम्बन्ध मे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु टीमो को गठन किया गया तथा वांछित अभियुक्तो की तलाश की गयी।

आज दिनांक 01.09.2024 को थाना क्रासिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना के वांछित अभियुक्त 1- सद्दाम हुसैन पुत्र शमशुद्दीन निवासी म0नं0-03 गली नं0-02 बुद्ध विहार बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद 2- आमना मंसूरी पत्नी शमशुद्दीन निवासी उपरोक्त को बहरामपुर अण्डर पास के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

अभियुक्त सद्दाम हुसैन उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मेरा मेरी पत्नी से आये दिन छोटी छोटी बातो को लेकर विवाद रहता था तथा वह हमारे घर की छोटी छोटी बातो को लेकर अपने मायके चली जाती थी मै व मेरे परिवार वाले समझा-बुझाकर वापस ले आते थे। दिनांक 30.08.2024 को मेरा मेरी पत्नी से झगडा हो गया था, जिसके चलते उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

(1) सद्दाम हुसैन पुत्र शमशुद्दीन निवासी म0नं0-03 गली नं0-02 बुद्ध विहार बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र-30 वर्ष।

(2) आमना मंसूरी पत्नी शमशुद्दीन निवासी म0नं0-03 गली नं0-02 बुद्ध विहार बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र-55 वर्ष।

<u>अभियुक्त गण का आपराधिक इतिहास-</u>

अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 ई-रिक्शा बैटरी, कन्ट्रोलर व चार्जर बरामद।

दिनांक 31.08.2024 को थाना लिंक रोड़ पर वादी श्री ओंकार सोनी पुत्र नारायण सोनी निवासी बी-14 एसएफ-2 रामप्रस्थ थाना लिंक रोड गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा वादी के ई-रिक्शा की चारों बैटरी, चार्जर, कन्ट्रोलर आदि को रात के समय घर के बाहर से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए दिनांक 01.09.2024 को थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तगण 1. संजय पुत्र भैयालाल निवासी बी-14 रामप्रस्थ थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 44 वर्ष 2. सुमित पुत्र संजय निवासी बी-14 रामप्रस्थ थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष 3. बृह्मपाल पुत्र गिरवर निवासी गली नं0 08 डीटीसी कम्पनी के पास महाराजपुर गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष व 4. अजय पुत्र रविन्दर निवासी बी ब्लौक रामप्रस्थ झुग्गी गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को सनसाइन बैरियर लिंकरोड़ से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्तगण की निशानदेही पर रामपुरी रेलवे लाइन के पास से अभियोग से सम्बन्धित चोरी की 04 ई-रिक्शा बैटरी, कन्ट्रोलर व चार्जर बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि ये बैटरी, चार्जर व कन्ट्रोलर हम लोगों ने दिनांक 28.08.2024 को रामप्रस्था कॉलोनी में बाहर खड़े ई-रिक्शा से चोरी किये थे। जिन्हें हम लोगों ने रामपुरी रेलवे लाइन के किनारे लगी दीवार के पास ईंट के चट्टे की आड में घास से छुपाकर रखा था। जिन्हें आज हम बेचने की फिराक में थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता</u>

1. संजय पुत्र भैयालाल निवासी बी-14 रामप्रस्थ थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 44 वर्ष।
2. सुमित पुत्र संजय निवासी बी-14 रामप्रस्थ थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।
3. बृह्मपाल पुत्र गिरवर निवासी गली नं0 08 डीटीसी कम्पनी के पास महाराजपुर गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष।
4. अजय पुत्र रविन्दर निवासी बी ब्लौक रामप्रस्थ झुग्गी गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- चोरी की 04 ई-रिक्शा बैटरी, कन्ट्रोलर व चार्जर बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम</u>

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।